

## विधियकों पर राज्यपाल की नष्टिक्रयिता

यह एडिटोरियल 25/04/2023 को 'द हिंदू' में प्रकाशित 'Pending Bills, the issue of gubernatorial inaction' लेख पर आधारित है। इसमें राज्यपाल के पास लंबति विधियकों की समस्या के बारे में चर्चा की गई है।

तमलिनाडु राज्य विधानसभा द्वारा पारति विधियकों के संबंध में राज्य के राज्यपाल की कार्रवाई के संबंध में हाल में उत्पन्न विवाद के मद्देनजर एक प्रस्ताव पारति कर भारत के राष्ट्रपति से हस्तक्षेप का आग्रह किया गया है। उल्लेखनीय है कि तमलिनाडु विधानसभा द्वारा पारति कई विधियक लंबति पड़े हैं क्योंकि राज्यपाल द्वारा इन पर कोई निरिण्य नहीं लिया गया है।

विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारति कर भारत के राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे एक समयसीमा तय करें, जिसके अंतर्गत विधानसभा द्वारा पारति विधियकों को संसदीकृत कर देना अनिवार्य होगा।

इसने राज्य विधायिका द्वारा विधिवित पारति किये गए विधियकों को संवीकृत देने में असीमति विलंब के संबंध में राज्यपाल की विविधीन शक्ति पर सवाल उठाया है।

### राज्यपाल की विविधीन शक्तियाँ:

संविधान यह स्पष्ट करता है कि कोई मामला राज्यपाल के विविध के अंतर्गत आता है या नहीं, इस संबंध में यदि कोई प्रश्न उठता है तो राज्यपाल का निरिण्य अंतमि होता है और उसके द्वारा कारति किसी भी कृत्य की वैधता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है किसीने अपने विविध से कार्य किया या नहीं।

#### ■ राज्यपाल का संवैधानिक विविध:

- राष्ट्रपति के विधायिक को आरक्षित करना (अनुच्छेद 200)।
- राज्य में [राष्ट्रपति शासन](#) (अनुच्छेद 356) लगाने की अनुशंसा करना।
- किसी निकटवर्ती केंद्रशास्ति परिवर्तन (अतिरिक्त प्रभार के मामले में) के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का प्रयोग करते हुए।
- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिराम सरकार द्वारा [स्वायत्त जनजातीय ज़िला प्रशिद](#) को खनिज अन्वेषण के लिये लाइसेंस से अर्जित रॉयलटी के रूप में देय राशिका निरिधारण करना।
- राज्य के प्रशासनिक और विधायी मामलों के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना।

#### ■ परासिथतिजन्य विविध:

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो या पदेन मुख्यमंत्री की अचानक मृत्यु हो गई हो और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो।
- मंत्रपरिषिद की बरखास्तगी जब वह राज्य विधानसभा का विशेषास प्राप्त होना साबित नहीं कर सकती हो।
- राज्य विधानसभा का विधिवित करना यदि मंत्रपरिषिद ने अपना बहुमत खो दिया हो।

### क्या राज्यपाल अपनी विविधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी विधियक पर अपनी अनुमति रिक्त सकता है?

- [अनुच्छेद 200](#) के सामान्य पारदृश्य से प्रकट होता है कि राज्यपाल अपनी सहमतिको रोके रख सकता है, लेकिन विशेषज्ञ सवाल उठाते हैं कि क्या वह केवल मंत्रपरिषिद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।
- संविधान में प्रावधान है कि राज्यपाल अनुच्छेद 154 के तहत मंत्रपरिषिद की सलाह पर ही अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
- बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा द्वारा विधियक पारति किये जाने के बाद राज्यपाल द्वारा अपनी सहमतिको रोके रखने की अनुमतिक्यों दी जानी चाहयि।

- भारत के [संघीय न्यायालय](#) ने हाल ही में राज्यपालों द्वारा उन विधियकों को रोके रखने के मुद्दे को संबोधित किया जिससे वे सहमत नहीं थे

और जिसके कारण अनश्चितिकालीन वलिंबन की स्थिति बिनी। न्यायालय ने संवधान के अनुच्छेद 200 के उपबंध का उल्लेख किया, जो यह निरिदेशित करता है कि राज्यपालों को वधिनसभाओं द्वारा पारति किये गए वधियों पर सहमति देने में देरी नहीं करनी चाहिये।

## लंबति वधियों से संबंध मुद्दे

### ■ निरिण्य लेने में देरी:

- वधियों का द्वारा पारति वधियों पर निरिण्य लेने में राज्यपाल की वफ़िलता से निरिण्य लेने में देरी होती है, जो राज्य सरकार के प्रभावी कार्यकरण को प्रभावित करती है।

### ■ नीतियों और वधियों के कार्यान्वयन में देरी:

- जब राज्यपाल वधिनसभा द्वारा पारति कर्त्ता वधियक पर निरिण्य लेने में वफ़िल रहता है, तो यह नीतियों और वधियों के कार्यान्वयन में देरी का कारण बनता है।
- इस देरी के महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं, वशीषकर जब वधियक लोक कल्याण से संबंधित हो।

### ■ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करना:

- राज्यपाल, जिसे केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, राजनीतिक कारणों से राज्य वधिनसभाओं द्वारा पारति वधियों को वलिंबित या अस्पौर्तिकर करने के लिये अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकता है, जो फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमज़ोर करता है।

### ■ लोक धारणा:

- आम लोग प्रायः राज्यपाल के पास लंबति वधियों को राज्य सरकार की अकृष्मता या उसके भ्रष्टाचार के संकेत के रूप में देखती है, जो सरकार की प्रतिष्ठिता को हानि पहुँचा सकती है।

### ■ संवैधानिक अस्पष्टता:

- अनुमति रिकर्ने की राज्यपाल की शक्ति के संबंध में संवधान में अस्पष्टता है।
- यद्यपि संवधान राज्यपाल को अपनी सहमतिरिक्त रखने की शक्ति प्रदान करता है, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या वह केवल मंत्रपरिषिद की सलाह पर ही ऐसा कर सकता है।

### ■ उत्तरदायतिव की कमी:

- राज्यपाल अपनी सहमतिरिक्त रखने के निरिण्य का कारण बताने के लिये बाध्य नहीं है।
- उत्तरदायतिव की यह कमी शासन में पारदर्शता और जवाबदेही के संदिधानों को कमज़ोर करती है।

## आगे की राह

### ■ स्वीकृति के लिये निरिधारति समयसीमा:

- सर्वोच्च न्यायालय देश में संघवाद के व्यापक हति में वधिनसभा द्वारा पारति वधियक पर निरिण्य लेने के लिये राज्यपालों के लिये एक उचिति समयसीमा निरिधारति करने पर वाचिकर कर सकता है।
- यह अनुचिति देरी पर रोक लगाएगा और यह सुनिश्चिति कर सकेगा कि राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

### ■ केंद्र और राज्यों के बीच संवाद:

- इस मुद्दे को हल करने और संवैधानिक प्रावधानों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिये केंद्र और राज्यों के बीच संवाद की आवश्यकता है।

### ■ जन जागरूकता और सक्रियता:

- इस मुद्दे पर जन जागरूकता एवं सक्रियता बढ़ाना और यह मांग करना महत्वपूर्ण है कि संवैधानिक प्रावधानों का पारदर्शी, निषिक्ष और समयबद्ध तरीके से पालन किया जाए।
- नागरिक समाज समूह, मीडिया और नागरिक मंच इस संबंध में इस मुद्दे को उजागर करने तथा अधिकारियों पर जनहति में कार्य करने के लिये दबाव बनाने के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

**अभ्यास प्रश्न:** वधियों का द्वारा पारति वधियों को स्वीकृति देने में राज्यपाल की भूमिका के संदर्भ में न्यायिकता (Justiciability) के मुद्दे पर चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?????????

प्रश्न. कसी राज्य के राज्यपाल को नियन्त्रिति में से कौन-सी विकाधीन शक्तियाँ दी गई हैं? (वर्ष 2014)

1. राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को रपियरट भेजना
2. मंत्रियों की नियुक्ति
3. राज्य विधानमंडल द्वारा पारति कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिये आरक्षित करना
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायिः

- (A) केवल 1 और 2  
(B) केवल 1 और 3  
(C) केवल 2, 3 और 4  
(D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (B)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/governor-inaction-over-bills>

